"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 सितम्बर 2009—भाद्र 24, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-18/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगरपालिका कवर्धा, जिला-कबीरधाम के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	13	गुरू घासीदास वार्ड
		21	विन्ध्यवासिनी वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	03	रविदास नगर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	07	मठपारा वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	02	कैलाश नगर वार्ड
		04	महामाया वार्ड
		06	सतबहनिया वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	14	शीतला वार्ड
		19	काली वार्ड
7.	महिला वर्ग	08	बूढ़ा महादेव वार्ड
		10	सत्ती वार्ड
		16	बहादुर गंज वार्ड
		20	गुरू गोविंद सिंह वार्ड

Raipur, the 14th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-18/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Municipal Council Kawardha, Distt. Kabirdham is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes. Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	13	Guru Ghasidas Ward
		21	Vindhyawasinee Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	03	Ravidas Nagar Ward
3.	Scheduled Tribes	07	Mathpara Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	02	Kailash Nagar Ward
		04	Mahamaya Ward
		06	Satbahaniya Ward
6.	Other Backward Class (Female)	14	Sheetla Ward
		19	Kali Ward
7.	Female	08	Budha Mahadeo Ward
		10	Satti Ward
		16	Bahadur Ganj Ward
		20	Guru Govind Singh Ward

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-18/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत पण्डरिया, जिला-कबीरधाम के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	2	गुरू घासीदास वार्ड
		5	मिनीमाता वार्ड
		8	महात्मा गांधी वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	1	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	9	इंदिरा गांधी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	13	पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड
		15	शिवाजी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	महाराणा प्रताप वार्ड
7.	महिला वर्ग	10	तिलक वार्ड
		12	सुभाष वार्ड
		14	भगत सिंह वार्ड

Raipur, the 14th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-18/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Pandariya, Distt. Kabeerdham is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	2	Guru Ghasidas Ward
		5	Minimata Ward
		8	Mahatma Gandhi Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Scheduled Caste (Female)	1	Dr. Ambedkar Ward
3.	Scheduled Tribes	9	Indira Gandhi Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	13 15	Pt. Jawaharlal Nehru Ward Shivaji Ward
6.	Other Backward Class (Female)	11	Maharana Pratap Ward
7.	Female	10 12 14	Tilak Ward Subhash Ward Bhagat Singh Ward

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-18/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत पाण्डातराई, जिला-कबीरधाम के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	14 15	गुरू घासीदास वार्ड संत रविदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	4	महामाया वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग		निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	9 11 13	भगत सिंह वार्ड महात्मा गांधी वार्ड महाराणा प्रताप वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	1	करपात्री वार्ड
7.	महिला वर्ग	2 5 8	महादेव वार्ड कबीर वार्ड परशुराम वार्ड

Raipur, the 14th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-18/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Pandatarai, Distt. Kabeerdham is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	14	Guru Ghasidas Ward
		15	Sant Ravidas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	4	Mahamaya Ward
3.	Scheduled Tribes		Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	9	Bhagatsingh Ward
		11	Mahatma Gandhi Ward
		13	Maharana Pratap Ward
6.	Other Backward Class (Female)	1	Karpatri Ward
7.	Female	2	Mahadev Ward
		5	Kabeer Ward
		8	Parashuram Ward

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-18/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत सहसपुर-लोहारा, जिला-कबीरधाम के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	4	मिनीमाता वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	5	गुरू घासीदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	1	पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	10	महाराणा प्रताप वार्ड
		12	सुभाष चंद्र बोस वार्ड
		13	रानी दुर्गावती वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	3	संत कबीर वार्ड
7.	महिला वर्ग	6	शहीद भगत सिंह वार्ड
		9	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
		14	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड

Raipur, the 14th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-18/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Sahaspur-Lohara, Distt. Kabeerdham is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	4	Minimata Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	5	Guru Ghasidas Ward
3.	Scheduled Tribes	1	Pt. Shyama Prasad Mukherjee Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	10	Maharana Pratap Ward
		12	Subhash Chandra Bose Ward
		13	Rani Durgavati Ward
6.	Other Backward Class (Female)	3	Sant Kabeer Ward
7.	Female	6	Shaheed Bhagat Singh Ward
		9	Pt. Dindayal Upadhyay Ward
		14	Rani Laxmibai Ward

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-18/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत बोड़ला, जिला-कबीरधाम के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	13	गुरू घासीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	6	शीतला माता वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	14	मां शारदा वार्ड
		15	बूढ़ा महादेव वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	2	राजीव गांधी वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	गौरी माता वार्ड
		11	मिनीमाता वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	9	सियाराम वार्ड
7.	महिला वर्ग	3	महावीर वार्ड
		4	रामजानकी मंदिर वार्ड

Raipur, the 14th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-18/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Bodala, Distt. Kabeerdham is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	13	Guru Ghasidas Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Scheduled Caste (Female)	6	Sheetala Mata Ward
3.	Scheduled Tribes	14 15	Maa Sharda Ward Budha Mahadev Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	2	Rajeev Gandhi Ward
5.	Other Backward Class	1 11	Gouri Mata Ward Minimata Ward
6.	Other Backward Class (Female)	9	Siyaram Ward
7.	Female	3 4	Mahaveer Ward Ramjanki Mandir Ward

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-18/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत पिपरिया, जिला-कबीरधाम के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	9	मिनीमाता वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	10	गुरू घासीदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग		निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	6 8 13	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड राजीव गांधी वार्ड मां कर्मा वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	2	संतोषी वार्ड
7.	महिला वर्ग	3 11 15	राम जानकी वार्ड सुगनचंद बैद वार्ड ठाकुर देव वार्ड

Raipur, the 14th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-18/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Piparia, Distt. Kabeerdham is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	9	Minimata Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	10	Guru Ghasidas Ward
3.	Scheduled Tribes		Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	6 8 13	Shayama Prasad Mukherjee Ward Rajeev Gandhi Ward Maa Karma Ward
6.	Other Backward Class (Female)	2	Santoshi Ward
7.	Female	3 11 15	Ram Janki Ward Suganchand Baid Ward Thakur Dev Ward

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमन्त पहारे, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.